कार्यालय प्रधानाचार्यः स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0

पत्रांक सं0– 134 /ए0एस0एम0सी0,फतेह/2021 दिनांकः–14/06/2021

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0 में संविदा के आधार पर आचार्य ,सह–आचार्य, सहा0 आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुर्नविज्ञप्तिः–

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0 में एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु रिक्त आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र एतदद्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर वाक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर अन्तिग चयन शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से किया जाना है। चयन की प्रक्रिया एन0एम0सी0 मानको की अद्यतन संस्तुति के अनुसार 18 जून 2021 से जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के पी0सी0आर0 कक्ष में प्रातः 10:00 बजे से सायं 4 बजे तक प्रत्येक शुक्रवार एंव मंगलवार को पदो के भरे जाने तक सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों, उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों।

शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू होगा। पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मलित हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन0एम0सी0 मानको की पूर्ती हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी इन पदो के लिए पात्र होंगें। पदों की अद्यतन स्थिति एवं समस्त विवरण www.dgmeup.in एवं www.gsvmmedicalcollege.com पर उपलब्ध है।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0 में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदो की स्थिति

क्र0सं0	विशिष्टता का नाम	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर,		
		आचार्य	सह–आचार्य	सहायक आचार्य
1.	अस्थि रोग विभाग	00	01–अनुसूचित जाति	00
2.	नेत्र रोग विभाग	00	00	01–अनुसूचित जाति
3.	स्त्री एव प्रसूति	00	00	01– अन्य पिछडा वर्ग
4.	इमरजेसी मेडिसिन	00	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01–अनारक्षित
5.	ई0एन0टी0 विभाग	00	00	01– अन्य पिछडा वर्ग
6.	एनेस्थेसिया	00	01–अनारक्षित 01–अनुसूचित जाति	01–अनारक्षित, 01– अन्य पिछडा वर्ग
7.	कम्यूनिटी मेडिसिन	00	00	01–आर्थिक रूप से कमजोर
8.	सामान्य मेडिसिन	01– अन्य पिछडा वर्ग	01–अनारक्षित 01–अन्य पिछड़ा वर्ग	01–अनारक्षित
9.	सामान्य सर्जरी	01–अनारक्षित	01–आर्थिक रूप से कमजोर, 01–अन्य पिछडा वर्ग	01–अनुसूचित जाति
10.	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	00	01–अनुसूचित जाति	00
11.	स्किन एण्ड वी0डी0	00	01–अनारक्षित	00
12.	बाल रोग विभाग	00	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	00
13.	फार्माकोलॉजी	00	01–अनुसूचित जाति	00
14.	फिजियोलॉजी	01–अनुसूचित जाति	00	01–आर्थिक रूप से कमजोर
15.	बायोकेमिस्ट्री	00	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01– अन्य पिछडा वर्ग
16.	रेडियोडायग्नोसिस	00	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01– अन्य पिछडा वर्ग
17.	मानसिक रोग	00	01–आर्थिक रूप से कमजोर	00
योग–		03	15	12

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत हैः–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0–1,35,000/– सह आचार्यो का नियत वेतन रू0–1,20,000/– तथा सहायक आचार्यो को नियत वेतन रू0–90,000/– प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को medical council of India, Minimum Qualification fur teachers in Medical institutions Regulation, 1998 अद्यतन एन0एम0सी0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताए एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश संख्या–2282/71–1–2013–जी–11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश संख्या–582/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जूलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेंगें।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध होना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होंगें।

Scanned with CamScanner

9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पायें जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

10. ऐसे चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियमति चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढाया जा सकेगा।

11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले, उक्त काल अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षको के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।

12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक, संविदा काल अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे काल अवधि के लिए कोई भी बोनस देय नही होगें।

13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नही होगा।

14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायेगी। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थाई करण का दावा नही करेंगें न ही उन्हे नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

16. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार इस समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नही है, यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकुल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

17. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सख्याः– 1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–II दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।

18. पदों की संख्या घट व बढ सकती है।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा
महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0।

संख्या– 134(1–9)/तद्दिनांक.......

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें, तथा साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
4. कुल सचिव/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/सैफई इटावा/मेरठ/आगरा/ इलाहाबाद/झांसी/गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/बांदा/सहारनपुर/बदांयू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासों की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविलाय, फतेहपुर।
6. प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0/प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविलाय, फतेहपुर।
8. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविलाय, फतेहपुर।
9. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा
महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner